



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 848]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2014/चैत्र 14, 1936

No. 848]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2014/CHAITRA 14, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2014

का.आ.1034(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के रुपनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 09.400 कि.मी. से 19.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (लुधियाना-चण्डीगढ़ सेक्शन) के निर्माण (चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप मण्डल मजिस्ट्रेट, रुपनगर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 09.400 कि.मी. से 19.000 कि.मी. तक लुधियाना से चण्डीगढ़ खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम/ एच. बी. संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (कनाल—मरला)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रूपनगर	मोरिण्डा	(1) भूतगढ़ हदबस्त न: 265	10//12	निजी	कृषि	0-5
				16	निजी	कृषि	2-0
				17	निजी	कृषि	2-0
				18/2	निजी	कृषि	2-0
				23/1	निजी	कृषि	1-19
				23/2	निजी	कृषि	1-4
				24/1	निजी	कृषि	1-11
				24/2	निजी	कृषि	0-9
				25	निजी	कृषि	2-0
				11//13/2	निजी	कृषि	1-14
				14/2	निजी	कृषि	1-9
				15/2	निजी	कृषि	1-7
				16	निजी	कृषि	1-18
				19/2	निजी	कृषि	2-0
				20	निजी	कृषि	2-0
				21	निजी	कृषि	2-0
				22	निजी	कृषि	1-16
				23/1	निजी	कृषि	1-6
				23/2	निजी	कृषि	0-14
				24	निजी	कृषि	2-0
				12//11/2	निजी	कृषि	1-6
				18	निजी	कृषि	1-15
				19	निजी	कृषि	2-0
				20	निजी	कृषि	2-0
				36/1	निजी	कृषि	0-6
				36/2	निजी	कृषि	1-5
				37	निजी	कृषि	0-17
				38/2	निजी	कृषि	0-9
				39/2	निजी	कृषि	0-8
				40/2	निजी	कृषि	0-8
				41/2	निजी	कृषि	0-7
				42/2	निजी	कृषि	0-7
				43/2	निजी	कृषि	0-7
				44/2	निजी	कृषि	0-7
							कनाल—मरला

		(2) कंजौली हदबस्त न: 266	15//23/1	निजी	कृषि	0-4
			23/2	निजी	कृषि	0-4
			23/3	निजी	कृषि	0-4
			23/4	निजी	कृषि	0-4
			23/5	निजी	कृषि	0-4
			23/6	निजी	कृषि	0-3
			23/7	निजी	कृषि	0-3
			23/8	निजी	कृषि	0-3
			23/9	निजी	कृषि	0-3
			23/10	निजी	कृषि	0-3
			25/1	निजी	कृषि	0-8
			25/2	निजी	कृषि	0-5
			16//21/1/1	निजी	कृषि	1-16
			21/2/1	निजी	कृषि	1-14
			23/3/1	निजी	कृषि	1-8
			26	निजी	कृषि	1-2
			18//19/2	निजी	कृषि	1-7
			20/2	निजी	कृषि	1-2
			21	निजी	कृषि	3-8
			22/1	निजी	कृषि	2-11
			22/2	निजी	कृषि	2-10
			18//23	निजी	कृषि	3-12
			19//1	निजी	कृषि	1-2
			20//1	निजी	कृषि	0-13
			3	निजी	कृषि	1-2
			4	निजी	कृषि	3-16
			5/1	निजी	कृषि	2-10
			139	निजी	कृषि	0-9
			20//5/2	निजी	कृषि	0-12
			8	निजी	कृषि	1-7
			9	निजी	कृषि	2-14
			10/1	निजी	कृषि	4-0
			21//4/2	निजी	कृषि	2-7
			5/2	निजी	कृषि	2-16
			6/1	निजी	कृषि	1-7
			32	निजी	कृषि	3-9
			33/1	निजी	कृषि	0-2
			129	निजी	कृषि	0-3
			131	निजी	कृषि	0-7
			133	निजी	कृषि	0-16
			134	निजी	कृषि	0-3
			135	निजी	कृषि	1-0
			136	निजी	कृषि	0-6

				138/1	निजी	कृषि	0-3
				138/2	निजी	कृषि	0-16
				140	निजी	कृषि	0-6
				141	निजी	कृषि	0-5
				142	निजी	कृषि	0-8

[फा. सं. भाराराप्रा / 11013 / एलए / पीआईयू-सीएचडी / नोटिफ. 3(ए)]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2014

S.O. 1034(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 5 in the stretch of land from Km 09.400 to Km 19.000 (Ludhiana-Chandigarh Section) in the district of Roopnagar in the State of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Magistrate, Roopnagar in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretches of land from Km 09.400 to Km 19.000 (Ludhiana-Chandigarh Section) of the National Highway No. 5 in the State of Punjab.

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of the village with hadbast number	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Kanal-Marla)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roopnagar	Morinda	(1) Boothgarh H.B. No. 265	10//12	Private	Agriculture	0-5
				16	Private	Agriculture	2-0
				17	Private	Agriculture	2-0
				18/2	Private	Agriculture	2-0
				23/1	Private	Agriculture	1-19
				23/2	Private	Agriculture	1-4
				24/1	Private	Agriculture	1-11
				24/2	Private	Agriculture	0-9

				25	Private	Agriculture	2-0
				11//13/2	Private	Agriculture	1-14
				14/2	Private	Agriculture	1-9
				15/2	Private	Agriculture	1-7
				16	Private	Agriculture	1-18
				19/2	Private	Agriculture	2-0
				20	Private	Agriculture	2-0
				21	Private	Agriculture	2-0
				22	Private	Agriculture	1-16
				23/1	Private	Agriculture	1-6
				23/2	Private	Agriculture	0-14
				24	Private	Agriculture	2-0
				12//11/2	Private	Agriculture	1-6
				18	Private	Agriculture	1-15
				19	Private	Agriculture	2-0
				20	Private	Agriculture	2-0
				36/1	Private	Agriculture	0-6
				36/2	Private	Agriculture	1-5
				37	Private	Agriculture	0-17
				38/2	Private	Agriculture	0-9
				39/2	Private	Agriculture	0-8
				40/2	Private	Agriculture	0-8
				41/2	Private	Agriculture	0-7
				42/2	Private	Agriculture	0-7
				43/2	Private	Agriculture	0-7
				44/2	Private	Agriculture	0-7
							K-M
			(2) Kanjoli H.B. No. 266	15//23/1	Private	Agriculture	0-4
				23/2	Private	Agriculture	0-4
				23/3	Private	Agriculture	0-4
				23/4	Private	Agriculture	0-4
				23/5	Private	Agriculture	0-4
				23/6	Private	Agriculture	0-3
				23/7	Private	Agriculture	0-3
				23/8	Private	Agriculture	0-3
				23/9	Private	Agriculture	0-3
				23/10	Private	Agriculture	0-3
				25/1	Private	Agriculture	0-8
				25/2	Private	Agriculture	0-5
				16//21/1/1	Private	Agriculture	1-16
				21/2/1	Private	Agriculture	1-14
				23/3/1	Private	Agriculture	1-8
				26	Private	Agriculture	1-2
				18//19/2	Private	Agriculture	1-7
				20/2	Private	Agriculture	1-2
				21	Private	Agriculture	3-8

				22/1	Private	Agriculture	2-11
				22/2	Private	Agriculture	2-10
				18//23	Private	Agriculture	3-12
				19//1	Private	Agriculture	1-2
				20//1	Private	Agriculture	0-13
				3	Private	Agriculture	1-2
				4	Private	Agriculture	3-16
				5/1	Private	Agriculture	2-10
				139	Private	Agriculture	0-9
				20//5/2	Private	Agriculture	0-12
				8	Private	Agriculture	1-7
				9	Private	Agriculture	2-14
				10/1	Private	Agriculture	4-0
				21//4/2	Private	Agriculture	2-7
				5/2	Private	Agriculture	2-16
				6/1	Private	Agriculture	1-7
				32	Private	Agriculture	3-9
				33/1	Private	Agriculture	0-2
				129	Private	Agriculture	0-3
				131	Private	Agriculture	0-7
				133	Private	Agriculture	0-16
				134	Private	Agriculture	0-3
				135	Private	Agriculture	1-0
				136	Private	Agriculture	0-6
				138/1	Private	Agriculture	0-3
				138/2	Private	Agriculture	0-16
				140	Private	Agriculture	0-6
				141	Private	Agriculture	0-5
				142	Private	Agriculture	0-8

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-CHD/Notif. 3(A)]

MAYA PRAKASH, Director